UPSP010061562026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2407/2026

वसीम पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पटनी, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर ।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

राज्य ..... **अभियोजन**

मु.अ.सं.– 189/2025
धारा– 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना– चिलकाना, जिला– सहारनपुर।

10–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** पुत्र मुस्तकीम द्वारा मु०अ०सं०–**189/2025** धारा– **8/22** एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ अब्दुल्ला पुत्र मुस्तकीम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया गया है, ना ही विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 09.08.2025 को वादी उ0नि0 सतीश कुमार मय हमराह पुलिस कर्मचारीगण के मय प्राइवेट वाहन के थाना हाजा से बहवाले रपट स0 25 समय 09.13 बजे थाना हाजा से रवाना होकर ग्राम सुल्तानपुर से ग्राम फिरोजाबाद की ओर जा रहे थे तो सुल्तानपुर फिरोजाबाद के मध्य से ग्राम पांजबांगर जाने वाले रास्ते पर आम के बाग के पास चैकिंग कर रहे थे तो सामने सडक पर एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया जो पुलिस वालो को देखकर सकपकाकर पीछे मुडकर तेज कदमो से चलने लगा तो पुलिस वालो ने शक होने पर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पॉजबांगर वाले रास्ते पर करीब 150 से 200 मीटर दूरी पर पकड लिया। पकडे जाने पर इस व्यक्ति से शकपकाने व एकदम पीछे मुडकर चलने का कारण पूछा तो इस व्यक्ति ने बताया कि साहब मेरे पास नशीले कैप्सूल है। तब वादी उ0नि0 द्वारा इस व्यक्ति को बताया गया कि तुमने अपने पास नशीले कैप्सूल होना बताया है। इसलिए एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 50 के तहत तुम्हारी थैली की जामा तलाशी लेने का अधिकार किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को है। तब पकडे गये व्यक्ति ने निवेदन किया कि मैं अपने खिलाफ किसी बड़े अधिकारी को गवाह बनाना नहीं चाहता हूँ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है आप ही मेरी जामा तलाशी ले लें। वादी उ0नि0 द्वारा एस०डी०एम० सदर व क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर के सी०यू०जी० नम्बरो पर सम्पर्क करने का प्रयास किया तो नेटवर्क की समस्या के कारण सम्पर्क नहीं हो सका तब वादी उ0नि0 द्वारा धारा 50 एनडीपीएस का सहमति पत्र तैयार कर पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम **वसीम** पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर बताया तथा इसके दाहिने हाथ में पकडी कपडे की थैली को खोलकर चैक किया तो थैली में नशीले कैप्सूलो के 04 डिब्बे बरामद हुए प्रत्येक डब्बे पर DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE, TRAMADOL HYDROCHLORIDE ACETAMINOPHEN CAPSULES PROXIOHM SPAS लिखा हुआ है। जो कि प्रतिबन्धित है को चैक किया गया तो कुल **960 कैप्सूल** बरामद हुए। विवेचना किट से इलेक्ट्रानिक काटा निकालकर बरामदा नशीले कैप्सूलो मे से एक डिब्बे मे से एक पत्ते (स्ट्रिप) से एक कैप्सूल निकालकर इलेक्ट्रानिक कांटा से तौल की गयी

तो एक कैप्सूल का वजन 0.6 ग्राम एवं जिसके अनुसार कुल 960 कैप्सूल का वजन **576 ग्राम** है। अभियुक्त से कैप्सूल रखने/बेचने का लाईसेन्स तलब किया तो बताया कि साहब मेरे पास कोई लाईसेन्स नही है। ये जो नशे के कैप्सूल है मै **कादिर** पुत्र नसीम निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर से खरीदकर **बेचने हेतु लाया हूँ** तथा ये जो 720 रूपये मुझसे आपको मिले है ये मेरे द्वारा बेचे गये कैप्सूल के ही पैसे है। अभियुक्त वसीम उपरोक्त को इसके जुर्म धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 11.26 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त वसीम उपरोक्त से उसकी दाहिनी आँख पर लगी चोट के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब मेरी आँख पर फुन्सी हो रही थी जिसे मैने खुरच दिया था से उसी के कारण से है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण वसीम व कादिर के विरुद्ध धारा 8/22/29 एन.डी. पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त वसीम द्वारा अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी को वाद उक्त में असत्य व निराधार तथ्यों पर साजिशी व रंजिशन झूठा व गलत फंसाया गया है। जबकि प्रार्थी कतई निर्दोष है। प्रार्थी मौके से गिरफ्तार नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी किसी प्रकार की नहीं है। कथित बरामदगी झूठी व फर्जी है। जनता के स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय साक्षीगण का अभाव है। पुलिस द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया है। उक्त वाद में आरोप पत्र न्यायालय में आ चुका है। कोई विवेचना शेष नहीं है। जबकि माल नमूने की कोई एफ0एस0एल0 जांच रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी दिनांक 09.08.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त वसीम को पुलिस कर्मियों द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE, TRAMADOL HYDROCHLORIDE ACETAMINOPHEN CAPSULES PROXIOHM SPAS के 960 कैप्सूल (कुल वजन 576 ग्राम) की बरामदगी हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत अपराध की पुनरावृत्ति करेगा तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन.डी.पी.एस. एक्ट) एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में प्रपत्रों का अवलोकन किया।

स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ, अधिनियम, 1985 मादक दवाओ और साइकोट्रोपिक पदार्थो से संबंधित ऑपरेशनों के नियंत्रण और विनयमन के लिए सख्त प्राविधानों का निर्माण करता है। अधियनियम की धारा 37 ऐसे मामलो में जमानत के बारे में निम्नवत प्रावधान करती है–

> *(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब–*
>
> *(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और*
>
> *(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की सम्भावना नहीं है ।*

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **The State of Meghalaya Vs Lalrintluanga Sailo & Anr. {2024 INSC 537}** के मामले में यह अवधारित किया है कि– "While considering the application for bail made by an accused involved in an offence under NDPS Act a liberal approach ignoring the mandate under Section 37 of the NDPS Act is impermissible. Recording a finding mandted under Section 37 of the NDPS Act, which is *sine qua non* for granting bail to an accused under the NDPS Act connot be avoided while passing orders on such applications."

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त वसीम को मौके से गिरफ्तार किये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से DICYCLOMINE

HYDROCHLORIDE, **TRAMADOL** HYDROCHLORIDE ACETAMINOPHEN CAPSULES PROXIOHM SPAS के 960 कैप्सूल (कुल वजन **576 ग्राम**) बरामद होना तथा गिरफ्तारी के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह बताना कि उक्त नशीले कैप्सूल वह सहअभियुक्त कादिर से खरीदकर बेचने हेतु लाया था, अभिकथित है, जिसके सम्बन्ध में **केन्द्रीय सरकार के नोटिफिकेशन का आ.1055 (ई). दिनांक 19.10.2001 केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन :प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में नोटिफिकेशन संख्या एस0ओ0 1762(ई) दिनांक 26.04.2018 द्वारा शामिल** के सारणी में निम्न इन्द्राज हैः–

नोटिफिकेशन में क्र. सं.	पदार्थ का नाम	अल्पमात्रा	वाणिज्यिक मात्रा	प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद
238ZH	ट्रामाडोल	5 ग्राम	250 ग्राम	**576 ग्राम**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद नशीले कैप्सूलों की मात्रा **वाणिज्यिक मात्रा से भी बहुत अधिक है**। बरामदगी की मात्रा अधिक है, अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त **04 अन्य मामले भी पंजीकृत है, जिसमें 02 मामले एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित है,** जो इस प्रकार है–

प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास				
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जिला
01.	444/2017	**8/15 एनडीपीएस एक्ट**	चिलकाना	सहारनपुर
02.	92/2019	60, 63 आबकारी अधिनियम	चिलकाना	सहारनपुर
03.	366/2020	13 जुआ अधिनियम	चिलकाना	सहारनपुर
04.	429/2020	**8/20 एनडीपीएस एक्ट**	चिलकाना	सहारनपुर

मामले के तथ्यों एवं अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास को देखते हुए इस बात की सम्भावना है कि अभियुक्त भविष्य में जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। स्वापक औषधियों एवं मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से बड़ी संख्या में जन समाज पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस स्तर पर धारा–37 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के मद्देनजर यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और यह भी विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि यदि जमानत दी जाती है, तो जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा पुनः कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **वसीम** पुत्र मुस्तकीम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– **189/2025**, अन्तर्गत धारा– **8/22** एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनाँक – 10.06.2026

(**निशान्त देव**)
विशेष न्यायाधीश (एन. डी. पी. एस. एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर ।
(जे.ओ. कोड–यू.पी.1704)